न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/ न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) कानपुर देहात।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–१८२४/२०१९
१. शिव देवी पत्नी रमेश चन्द्र निवासी मोहम्मदपुर थाना भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात।
अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार अभियोजन

विशेष सत्र परीक्षा संख्या–११४६/१९
मु०अ०सं०१५०९/१७
धारा–१३८ बी विद्युत अधिनियम।
थाना–भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात।

दिनांक ३०.०७.२०१९

प्रार्थिनी/अभियुक्ता शिव देवी मु० अ० सं० १५०९/१७ धारा–१३८ बी विद्युत अधिनियम थाना–भोगनीपुर जिला कानपुर देहात के अपराध में विद्युत विभाग के अधिवक्ता की आख्या अनुसार बांछित है। अभियुक्ता को उक्त अपराध में न्यायिक अभिरक्षा में न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

(अखिलेश कुमार पाठक)
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नम्बर–४, कानपुर देहात।

दिनांक ३०.०७.२०१९

प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा शासकीय अधिवक्ता (विद्युत) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता उक्त अपराध में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

प्रार्थिनी/ अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा समर्थन में शपथ पत्र का प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्ता निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा शमन शुल्क व बकाया विद्युत बिल का भुगतान करके रसीद प्राप्त किया है। जिसके सम्बन्ध में धारा–१५२ का पत्र विभाग द्वारा जारी किया गया है। जो संलग्न है। अतः अभियुक्ता को उक्त आधारों पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता विद्युत (विशेष) द्वारा जमानत प्रार्थना शमन शुल्क व निर्धारण जमा करने का इंद्राज किया है।

अभियुक्ता के द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ शमन शुल्क जमा करने से संबंधित निर्धारण की छाया व रसीद की छाया प्रति दाखिल की गयी है। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थिनी/अभियुक्ता शिवदेवी द्वारा मु०अ०सं०१५०९/१७ धारा–१३८ बी विद्युत अधिनियम के अपराध मे मु० २०,०००/– रूपये (बीस हजार रूपये) का निजी बन्धपत्र तथा समान धनराशि का एक प्रतिभू निष्पादित करने के उपरान्त जमानत पर रिहा किया जाये।

(अखिलेश कुमार पाठक)
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नम्बर–४, कानपुर देहात।

आदेश

अभियुक्त विशाल गुप्ता मु०अ०सं०१३२३/१७ धारा–१३८ बी विद्युत अधिनियम थाना अकबरपुर, जिला कानपुर देहात के अपराध में विद्युत विभाग के अधिवक्ता की आख्या अनुसार बांछित है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

<u>दिनांक १६.०७.२०१९</u>

(अखिलेश कुमार पाठक)
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नम्बर–४, कानपुर देहात।